

मध्यप्रदेश विधान सभा

नवम्बर-दिसम्बर, 1994 सत्र

कैनिंग विधार्य सूची

सोमवार, क्रमांक 28 नवम्बर, 1994 (आग्रहायण 7, 1916)

समय 10.30 बजे दिन

1. निष्ठन का उल्लेख

- (1) श्री मोहनलाल औधरी, पशुपालन, डेयरी एवं मर्स्य विकास मंत्री
- (2) श्रीमती रविमदेवी सिंह, सदस्य विधान सभा
- (3) श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा
- (4) श्री किशोरी मोहन त्रिपाठी, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा
- (5) श्री सौभाग्यमल जैन, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा
- (6) श्री रामनिवास बांगड़, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा
- (7) सरबार रवींद्र सिंह, भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री
- (8) जनरल बिपिन चन्द्र जोशी, भारत के थल सेनाध्यक्ष

2. प्रश्नोत्तर

पृथकत वितरित सूची में सम्प्रिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे।

3. अध्यादेशों का पटल पर रखा जाना

श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, विधि और विधार्य कार्य मंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार निम्नलिखित अध्यादेश पटल पर रखेंगे -

- (क) मध्यप्रदेश पंचायत राज (ठितीय संशोधन) अध्यादेश, 1994 (क्रमांक 4 सन् 1994)
- (ख) वक्फ (मध्यप्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1994)

4. अगस्त-सितम्बर, 1994 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना

5. नियम 267-का के अधीन अगस्त-सितम्बर, 1994 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना

6. राष्ट्रपति/राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विवेयकों की सूचना

7. सभापति लालिका जी द्वारा

8. वास्तवीय विधि विवरक कार्य

श्री सत्यदेव कटारे, राज्यमंत्री गृह, मध्यप्रदेश सम्पत्ति विरूपण निवारण विधेयक, 1994 (क्रमांक 33 सन् 1994) का पुरस्थायन करेंगे।

इन्हें जाना

संविवेदन,

मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल :

दिनांक : 27 नवम्बर, 1994